

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(36) राज/वाद/14पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 26.05.17

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री जय कौशिक, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/134/97) को अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, फतेहपुर, जिला सीकर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर दिनांक 31.05.2018 या अग्रिम आदेशों तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,




(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, महोदय राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर।
7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर, जिला सीकर।
8. जिला कलक्टर, सीकर।
9. कोषाधिकारी, सीकर।
10. संबंधित अभिभाषक।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि